मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२४

मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह विधेयक, २०२४

अध्याय-एक
प्रारंभिक

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो
बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य

२. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के कार्य.

अध्याय-तीन
बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था वास-सुविधा

४. बन्दियों के लिए वास-सुवधा.

५. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाः वास्तुकला तथा संस्थागत स्वरूप.

६. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं की श्रेणियां.

७. बन्दियों के लिए अस्थायी वास-सुविधा.

अध्याय-चार
संगठनात्मक व्यवस्था

८. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक सेवा संचालनालय.

९. संचालनालय का प्रमुख.

१०. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अन्य पदधारी.

११. भर्ती एवं प्रशिक्षण.

अध्याय-पांच
सुधारात्मक सेवा पदधारियों के कर्तव्य

१२. अधीक्षक के कृत्य तथा कर्तव्य.

१३. चिकित्सा अधिकारी.

१४. अन्य बन्दीगृह पदधारियों के कर्तव्य.

१५. सिद्धदोष पदधारी.

१६. अधीक्षक की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग.

१७. सुधारात्मक सेवा पदधारियों का बंदियो के साथ व्यापारिक संव्यवहार न रखना तथा बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अनुबंधों में हित न रखना.

१८. पदधारी कल्याण

अध्याय-छह
बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

१९. बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग.

अध्याय-सात
बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और उन्मोचन

२०. बंदियों का प्रवेश.

२१. किसी बंदी का अन्य राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण.

२२. मानसिक रोग से ग्रस्त बंदियों का स्थानांतरण.

२३. प्रवेश, निकास और पुनर्प्रवेश पर बंदियों की तलाशी और जांच की जाना.

२४. बंदियों की वस्तुएं.

२५. विदेशी बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन.

अध्याय-आठ
बंदियों का वर्गीकरण

२६. वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति की संरचना.

२७. वर्गीकरण के आधार और श्रेणियां.

अध्याय-नौ
उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा

२८. बंदियों की आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध समुचित उपाय करना.

२९. कर्तव्यस्थ सुधारात्मक सेवा पदधारियों की सुरक्षा, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और चक्रानुक्रम के लिए विशेष प्रावधान.

अध्याय-दस
महिला बंदियों के लिए बन्दीगृह और सुधारात्क संस्था व्यवस्था

३०. महिला बंदियों के लिए पृथक वास-सुविधा.

३१. गर्भवती महिला बंदी.

३२. महिला या पुरूष बंदी जिसके साथ बच्चे हैं.

३३. किसी बंदी के यौन उत्पीड़न या गुदा मैथुन की शिकायों की जांच.

अध्याय-ग्यारह
ट्रांसजेंडर बंदी

३४. ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए बन्दीगृह एवं सुधारात्मक संस्था व्यवस्था.

अध्याय-बारह
बंदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा

३५. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा सुरक्षा.

३६. बंदियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन

३७. बंदियों से मुलाकात.

३८. सुधारात्मक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा आगंतुकों की तलाशी.

अध्याय-तेरह
बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन

३९. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था में अनुशासन.

४०. बंदीगृह एवं सुाधारात्मक संस्था के अपराधों तथा शास्तियों का प्रदर्शन.

४१. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था के अपराध.

४२. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराधों के लिए दण्ड़.

४३. अन्य विधियों के अधीन आने वाले अपराधों के लिए प्रक्रिया.

४४. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने पर प्रक्रिया.

४५. भाग निकलने या भाग निकलने के प्रयत्न के लिए दण्ड.

४६. वायरलेस संचार उपकरणों और / या उनके सहायक अवयव पर कब्जा करने या उपयोग करने के लिए दण्ड.

४७. दण्ड पुस्तिका में प्रविष्टियां.

अध्याय-चौदह
दण्डादेश योजना

४८. व्यक्तिगत दण्डादेश योजना.

४९. कार्य योजना एवं मजदूरी.

अध्याय-पंद्रह
खुली सुधारात्मक संस्थाएं

५०. खुली सुधारात्क संस्थाएं.

अध्याय-सोलह
बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था की अवकाश, परिहार और समय पूर्व निर्मुक्ति

५१. पैरोल और फरलो.

५२. बंदियों को परिहार.

५३. समय-पूर्व निर्मुक्ति.

अध्याय-सत्रह
बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं का निरीक्षण

५४. बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं का निरीक्षण.

अध्याय-अठारह
विविध

५५. विधिक सहायता.

५६. प्रत्येक जिले के लिए विचारणाधीन बंदी पुनर्विलोकन समिति का गठन.

५७. शिकायत निवारण तंत्र.

५८. सिविल और विचारणाधीन आपराधिक बंदियों को वस्त्र और बिस्तर की आपूर्ति.

५९. हड़ताल और आंदोलन का निषेध.

६०. आपातकाल.

६१. बंदीगृह और सुधारात्मक संस्था विकास बोर्ड.

६२. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

६३. लेखा एवं संपरीक्षा.

६४, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

६५. पुरस्कार और मान्यता.

६६. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.

६७. निरसन तथा व्यावृत्ति.

६८. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२४

मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह विधेयक, २०२४

विधि का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उद्धार पुनर्वास, तथा सुधार और मध्यप्रदेश राज्य में बन्दीगृह के प्रबंधन तथा सुधारात्मक सेवाओं के लिए भी और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करे.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं.

(१) "अनुरक्षण सेवा" से अभिप्रेत है, निर्मुक्त किए गए बन्दी को कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में जीवन यापन करने में समर्थ बनाने हेतु, उसके पुनर्वास पर केन्द्रित कोई सेवा या गतिविधि;

(२) "सिविल बन्दी" से अभिप्रेत है, कोई बन्दी जो आपराधिक बन्दी नहीं है;

(३) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा यथा घोषित सक्षम प्राधिकारी;

(४) "सिद्धदोष" से अभिप्रेत है, कोई बन्दी जो आपराधिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या सेना न्यायालय के दंडादेश के अधीन है;

(५) "सुधारात्मक सेवा" से अभिप्रेत है, कोई सेवा या कार्यक्रम, जो कैदी के सुधार तथा पुनर्वास पर केन्द्रित हो और इसमें किसी कैदी को दिए गए दण्ड के निष्पादन, निर्धारण, पर्यवेक्षण, उपचार, प्रशिक्षण, नियंत्रण तथा अभिरक्षा से संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं;

(६) "सुधारात्मक सेवा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार या संचालनालय द्वारा यथास्थिति, इस अधिनियम या सरकार द्वारा समनुदेशित शक्तियों के प्रयोग या प्रशासन से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कोई कर्मचारी;

(७) "न्यायालय" में विधिपूर्वक सिविल, दाण्डिक या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी सम्मिलित है;

(८) "आपराधिक बन्दी" से अभिप्रेत है, दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के याचिका, अधिपत्र (वारंट), आदेश के अधीन अथवा किसी सेना न्यायालय के आदेश द्वारा अभिरक्षा में सम्यक रूप से सुपुर्द कोई बन्दी और जो नजरबंद न हो;

(९) "नजरबंद बन्दी" से अभिप्रेत है, निवारक निरोध या उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर बन्दीगृह सुधारात्मक संस्था में निरूद्ध कोई व्यक्ति;